

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

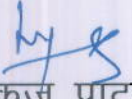
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (डी-93/2011)/अलेसे-11/ 1535

दिनांक :- 05-12-2016

कार्यालय आदेश

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सराड़ा (उदयपुर) के पत्र क्रमांक पं.स. स. /संस्था/2016-17/1215 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय में श्री धर्म चन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के विरुद्ध जावरमाईन्स पुलिस थाना, जिला उदयपुर में धारा 306 आई.पी.सी में मुकदमा संख्या 101/2016 दिनांक 16.11.2016 दर्ज होने के परिणामस्वरूप दिनांक 21.11.2016 को सायं 4 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। श्री धर्म चन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रहे हैं। अतः श्री मीणा को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 21.11.2016 से एतद् द्वारा निलंबित कर इनका मुख्यालय कोषालय (शहर), उदयपुर किया जाता है। श्री मीणा को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (डी-93/2011)/अलेसे-11/ 1535

दिनांक :- 05-12-2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
2. जिला कलक्टर, उदयपुर।
3. कोषाधिकारी (शहर), उदयपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सराड़ा (उदयपुर)।
5. उपनिदेशक ए.सी.पी. को वेबसाइट अपलोड/पी.आई.एस. हेतु।
6. श्री धर्म चन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी-11 निलंबित कार्यालय पंचायत समिति, सराड़ा (उदयपुर)।
7. थाना अधिकारी, पुलिस थाना जावरमाईन्स, उदयपुर को मुकदमा संख्या 101/2016 दिनांक 16.11.2016 के संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का श्रम करें।
8. पदस्थापन सीट/ एसीपी/ जांच/ एसीआर/ कार्यालय प्रति।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)